न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 177 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/190)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 04.10.2021

1. श्री चुन्नीलाल पिता देवजी गाडरी, निवासी करेडिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
2. श्री रामलाल पिता देवजी गाडरी, निवासी करेडिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
3. श्री तुलसीराम पिता देवजी गाडरी, निवासी करेडिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती तेज कूंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
2. सीमा पुत्री गजेन्द्रसिंह राजपुत, जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती तेज कूंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
3. श्री विजेन्द्रसिंह पिता गजेन्द्रसिंह राजपुत, जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती तेज कूंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
4. संजू कुंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
5. पुरण कूंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
6. श्रीमती भंवर कूंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

7. श्री मिटठुसिंह पिता उदयसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
8. श्री अमरचंद पिता लेहरू गाडरी, निवासी चरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
9. भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रविन्द्रसिंह चौहान – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या
50/2017 निर्णय दिनांक 14.07.2021

निर्णय

दिनांक 04.10.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 50/2017 निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 02.07.20218 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत

136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलांट्स/विपक्षीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चरलिया, पटवार हल्का करेडिया में स्थित होकर आराजी संवत् 2047 से 2050 की जमांबंदी खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 633/2 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा एक ही व्यक्ति प्रतापसिंह के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी, उसके पश्चात अलग–अलग समय में अपीलांट्स/विपक्षीगणों एंव रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को उक्त आराजीयात में से बेचान करते गये और कब्जा क्रेता को बिकाव अनुसार सुपुर्द करते गये उसी अनुसार वर्तमान में भी काबिज है। संवत् 2059 से 2063 की खाता संख्या 100 आराजी नम्बर 633/3 क रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण के खाते में दर्ज होकर नक्शे में दर्ज थी जिसके नये नम्बर 1173 रकबा 1.98 हैक्टेयर व खाता संख्या 45 नये सेटलमेंट के बाद दर्ज किये गये एवं अपीलांट्स/विपक्षीगणों के नये सेटलमेंट में पुराने खाता संख्या के बजाय नये नम्बर अंकित कर दिये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त भूमि पर वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त कर रहें है लेकित वर्तमान में जो नया सेटलमेंट हुआ उसमें सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा बिना मौका देखे बिना कारण के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण एवं अपीलांट्स/विपक्षीगण का रकबा तो पूरा कर दिया लेकिन नक्शे में गलत जगह पर तरमीम करते हुए कब्जे–कब्जे एवं अधिकार के विपरीत जगह पर नक्शे में दर्ज कर दिया गया है। जबकि वर्तमान में भी सभी लोग अपने–अपने पुराने कब्जे अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहें है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/2017 निर्णय दिनांक 14.07.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक

14.07.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— **"प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भदेसर द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर मौजा चरलिया, पटवार मण्डल करेडिया की प्रार्थना पत्र में वर्णित आलौच्य आराजीयात का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा में निर्णय में प्रविष्ठियों अनुसार शुद्धिकरण से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।"**

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह चौहान उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण दिनांक 06.07.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात मौका रिपोर्ट हेतु नियत था व उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की हुई थी जिससे पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2017 को मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु नियत था व 14.07.2017 को ही अपीलांट्स की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट ली जाकर लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में

अपीलांट्स की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये व उन्हीं की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया फिर भी बिना नोटिस दिये प्रकरण लोक अदालत में निर्णित कर दिया गया जिसकी अपीलांट्स को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 न्याय नियम एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर दिर्णय दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चरलिया, पटवार हल्का करेडिया में स्थित होकर आराजी संवत् 2047 से 2050 की जमाबंदी खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 633/2 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा एक ही व्यक्ति प्रतापसिंह के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी, उसके पश्चात अलग–अलग समय में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को उक्त आराजीयात में से बेचान करते गये और कब्जा क्रेता को बिकाव अनुसार सुपुर्द करते गये उसी अनुसार वर्तमान में भी काबिज है। संवत् 2059 से 2063 की खाता संख्या 100 आराजी नम्बर 633/3 क रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के खाते में दर्ज होकर नक्शे में दर्ज थी जिसके नये नम्बर 1173 रकबा 1.98 हैक्टेयर व खाता संख्या 45 नये सेटलमेंट के बाद दर्ज किये गये एवं अपीलांट्स के नये सेटलमेंट में पुराने खाता संख्या के बजाय नये नम्बर अंकित कर दिये। पुर्वानुसार नक्शे में वर्तमान स्थिति को दर्ज करवाया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 9 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 14.07.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2017 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2018 को पेश की गयी जिसके सन्दर्भ में दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन देते हुए निवेदन किया है कि उनके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये, जिनके द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी व पटवारी द्वारा तरमीम करने आने पर उन्हें प्रकरण की जानकारी हुई, ताइद में शपथ–पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गयी बहस, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 14.07.2017 की आदेशिका में अवश्य वकील उभय पक्ष उपस्थित लिखा हुआ है परन्तु विस्तृत निर्णय में केवल रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी के अधिवक्ता का नाम ही अंकित है तथा प्रकरण में अपीलाण्ट या विपक्षी या उनके अधिवक्ता को सुना गया हो, ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है, साथ ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.07.2017 को गिरदावर, पटवारी की रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा अग्रेषित की गई, जिसमें अपीलाण्ट विपक्षी की कोई उपस्थिति नहीं थी तथा उनकी आराजीयात के बाबत् वस्तुस्थिति का विवेचन किये बिना जो पर्चा मौका तैयार किया गया है, उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथावत् मानकर अपीलाण्ट विपक्षी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट विपक्षीगण को

विधिवत् सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर यथा आवश्यकता पुनः उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षों के भू–प्रबन्ध के नक्शे व वर्तमान नक्शा व रकबों की तुलना कर आख्यापक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर